

दिनांक: 27.06.2026

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र पर बल न ही देने का कथन किया है। इस आशय के कथन का इन्द्राज पुस्त पर किया है। अतः प्रार्थनापत्र पर बल नहीं दिये जाने के कारण पर निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफतर हों।

(संदीप कुमार)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार।